तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	30/5/08 पत्रावली पेश की गई अभिभाषकगण हाजिर। रेकार्ड में प्रार्थीगण का नामान्तरण के आदेश किया जाता है पत्रावली बाद तकमील होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.06 13:45:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— सुभाष चन्द्र आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 22 / 2023

जीसीएमएस : 2023 / 176

1. तारूराम पुत्र श्री ईशर राम जाति नायक साकिन लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. बिशना राम पुत्र श्री बीरबलराम जाबत नायक साकिन लिखमेंवाला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
3. सोहनलाल पुत्र श्री तेजाराम जाति स्वामी साकिन वार्ड नं. 10 रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.।
4. चन्दों देवी पत्नी श्री कालूराम जाति जाट साकिन 29 पी.एस. ए. तहसील रायसिंहनगर।
5. सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री कालूराम जाति जाट साकिन 29 पी.एस.ए. तहसील रायसिंहनगर।
6. कृष्णा पत्नी स्व. श्री भागीरथ जाति जाट साकिन 29 पी.एस.ए. तहसील रायसिंहनगर।
7. राजेन्द्र पुत्र स्व. श्री भागीरथ जाति जाट साकिन 29 पी.एस.ए. तहसील रायसिंहनगर।
8. धर्मपाल पुत्र स्व. श्री भागीरथ जाति जाट साकिन 29 पी.एस.ए. तहसील रायसिंहनगर।
9. रानी पुत्री स्व. श्री भागीरथ जाति जाट साकिन 29 पी.एस.ए. तहसील रायसिंहनगर।
10. इन्द्रा पत्नी स्व. श्री इन्द्राज जाति जाट साकिन 29 पी.एस.ए. तहसील रायसिंहनगर।
11. विकास कुमार पुत्र स्व. श्री इन्द्राज जाति जाट साकिन 29 पी.एस.ए. तहसील रायसिंहनगर।
12. सुनीलकुमार पुत्र स्व. श्री इन्द्राज जाति जाट साकिन 29 पी.एस.ए. तहसील रायसिंहनगर।
13. कविता देवी पुत्री स्व. श्री इन्द्राज जाति जाट साकिन 29 पी.एस.ए. तहसील रायसिंहनगर।
14. मंजू देवी पत्नी स्व. श्री मोहनलाल जाति जाट साकिन 29 पी.एस.ए. तहसील रायसिंहनगर।
15. बाबूराम पुत्र स्व. श्री मोहनलाल जाति जाट साकिन 29 पी.एस.ए. तहसील रायसिंहनगर।
16. नीरजकुमार पुत्र स्व. श्री मोहनलाल जाति जाट साकिन 29 पी.एस.ए. तहसील रायसिंहनगर।
17. नीतू देवी पुत्री स्व. श्री मोहनलाल जाति जाट साकिन 29 पी.एस.ए. तहसील रायसिंहनगर।
18. खेताराम पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट साकिन 29 पी.एस.ए. तहसील रायसिंहनगर।
19. मंगतू राम पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट साकिन 29 पी.एस.ए. तहसील रायसिंहनगर।
20. पवनदीप सिंह पुत्र श्री बलविन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन 29 पी.एस.ए. तहसील रायसिंहनगर।
21. बलविन्द्रसिंह पुत्र श्री स्वर्णसिंह जाति जटसिख साकिन [illegible] ए. तहसील रायसिंहनगर।
22. कृष्ण चन्द्र पुत्र श्री ठाकरराम जाति बिश्नोई साकिन 5 पी.[illegible] तहसील रायसिंहनगर।
23. चन्द्रपाल पुत्र श्री ठाकरराम जाति बिश्नोई साकिन 1 एम. के.बी. तहसील रायसिंहनगर।
24. बनवारी लाल पुत्र श्री ठाकरराम जाति बिश्नोई साकिन 1 एम. के.बी. तहसील रायसिंहनगर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.06 13:45:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

25. सम्पत राम पुत्र श्री सुरजाराम जाति बिश्नोई साकिन 1 एम. के.बी. तहसील रायसिंहनगर।
26. रामनारायण पुत्र श्री मनफूल राम जाति बिश्नोई साकिन नग्गी तहसील श्री करणपुर।

—:प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर।
2. बलवीर पुत्र श्री रतीराम जाति जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर।
3. सुमन पत्नी स्व. श्री भीमसैन
4. साहिल पुत्र स्व. श्री भीमसैन
5. मनीषा पुत्री स्व. श्री भीमसैन

} जाति जाट साकिन नग्गी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राज.। —:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता:—

तारीख रजू:— 25.05.2023

1. श्री रविन्द्र बिश्नोई प्रार्थी अधि.।
2. श्री सन्त कुमार बिश्नोई अप्रार्थी संख्या 2 अधि.।

——निर्णय——

दिनांक 30.05.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारी जोत वाके चक लिखमेंवाला बारानी आवेदक तारूराम के नाम से खाता संख्या 31 पं.नं. 218/297 मुरब्बा नं. 32 के कि.नं. 1—10—11—20 व 21 की कुल 1.265 हे. बारानी खातेदारी कृषि भूमि है। आवेदक बिशनाराम के नाम खाता संख्या 48 में पं.नं. 218/297 मुरब्बा नं. 32 के कि.नं. 16/1 ता 19/1, 22 ता 25 की कुल 1.233 है. बारानी खातेदारी कृषि भूमि है। आवेदक सोहनलाल के नाम खाता संख्या 95 में पं.नं. 218/298 मु.नं. 33 के कि.नं. 1 ता 19/1 की कुल 4.744 है. बारानी खातेदारी कृषि भूमि है। चक ठाकरी बी में आवेदक चन्दोदेवी—सुरेन्द्र व आवेदकगण सं. 6 ता 17 की सास/दादी मृतका रेशमी, खेताराम व मंगतू राम के नाम से संयुक्त खाता संख्या 67 में पं.नं. 220/297 मुरब्बा नं. 19 के कि.नं. 1 ता 3/1, 8/2 ता 13/1, 18/2 ता 22 की कुल 3.034 हे. बारानी खातेदारी कृषि भूमि है। आवेदकगण पवनदीपसिंह व बलजिन्द्रसिंह के नाम से संयुक्त खाता संख्या 67 में पं.नं. 219/297 मु.नं. 20 के कि.नं. 1 ता 25 की कुल 6.200 है. बारानी खातेदारी कृषि भूमि है। आवेदकगण कृष्णचन्द्र, चन्द्रपाल, बनवारी व सम्मत राम के नाम से संयुक्त खाता संख्या 25 में पं.नं. 219/298 मु.नं. 21 के कि.नं. 1 ता 25 की 6.200 है. बारानी खातेदारी कृषि भूमि है। आवेदक रामनारायण के नाम से खाता संख्या 87 में अन्य भूमि के अलावा पं.नं. 220/298 मु.नं. 22 के कि.नं. 1 ता 5, 8/2 ता 10 की कुल 1.897 है. बारानी खातेदारी कृषि भूमि है। आवेदकगण ... 29 पी.एस. 'ए' के काश्तकारान, मतदाता, करदाता ... ठाकरी से राज मार्ग रायसिंहनगर—अनूपगढ़ तक ... व आवेदकगण व अन्य काश्तकारान ... तक ... व आगे आबादी 29 पी.एस. 'बी' तक आमजन ... के लिये ... सोलो से चक ठाकरी 'बी' के मुरब्बा नं. 17 के कि.नं. 1—10—11—20—21 ता 25 प्रत्येक में दो—दो बिस्वा स्वीकृतशुद्वा चालू रास्ता है जो आगे अनावेदक बलवीर की इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.06 13:45:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

SCAN AnyScanner

चक की भूमि पं.नं. 221/297 मु.नं. 18 के कि.नं. 21 ता 25 में एक–एक बिस्वा दक्षिणी पासा, अनावेदक सं. 3 ता 5 के पति/पिता मृतक भीमसैन के इसी चक के पं.नं. 221/298 मुरब्बा नं. 23 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में एक–एक बिस्वा उतरी पासा, आवेदकगण चन्दोदेवी, सुरेन्द्र आवेदगण सं. 6 ता 17 की सास/दादी मृतका रेशमी, खेताराम व मंगतुराम की इसी चक की भूमि पं.नं. 220/297 मुरब्बा नं. 19 के कि.नं. 21 व 22 प्रत्येक में एक–एक बिस्वा दक्षिणी पासा व अनावेदक राजस्थान सरकार की आराजी राज की इसी मुरब्बा नंबर 19 के कि.नं. 23 ता 25 में एक–एक बिस्वा दक्षिणी पासा आवेदक रामनारायण की इसी चक की भूमि पं.नं. 220/298 मुरब्बा नं. 22 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक एक–एक बिस्वा उतरी पासा, आवेदकगण पवनदीपसिंह व बलजिन्द्रसिंह की इसी चक की भूमि पं.नं. 219/297 मु.नं. 20 के कि. नं. 21 ता 25 प्रत्येक में एक–एक बिस्वा दक्षिणी पासा, आवेदकगण कृष्णचन्द्र, चन्द्रपाल, बनवारीलाल व सम्मतराम की इसी चक की भूमि पं.नं. 219/298 मु.नं. 21 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक एक–एक बिस्वा उतरी पासा उससे आगे चक लिखमेंवाला बारानी में आवेदक तारूराम की भूमि पं.नं. 218/297 मु.नं. 32 के कि.नं. 21 की एक बिस्वा दक्षिणी पासा वा आवेदक बिशनाराम की इसी मुरब्बा नं. 19 के कि.नं. 22 ता 25 प्रत्येक एक–एक बिस्वा दक्षिणी पासा व आवेदक सोहनलाल की इसी चक की भूमि पं.नं. 218/298 मु.नं. 33 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में एक–एक बिस्वा उतरी पासा आवागमन के लिये उपयोग में ला रहे है जो अस्वीकृत है उक्त अस्वीकृत रास्ता के अलावा आवेदकगण व आमजन को मुख्य राजमार्ग व तीनों चको की आबादी व अपनी जोत तक पहुंचने के अन्य ना तो कोई रास्ता है ना ही उक्त रास्ता क अलावा अन्य कोई विकल्प ही है। इसलिए आवेदकगण उक्त सार्वजनिक उपयोग के रास्ता को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ स्वीकृत करवाना चाहते है जिसे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बिना किसी मुआवजा के राजस्व (गुप्र–6)विभागराज, जयपुर के परिपत्र क्रमांक पं. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.08.2016 की पालना में स्वीकृत किया जाना आवश्यक है एवं न्यायोचित व सार्वजनिक हित में है अन्यथा सूरत में आमजन को भारी असुविधा व परेशानी होने के साथ–साथ उक्त क्षेत्र का विकास अवरूध होने से अपूर्णिय क्षति होगी। आवेदकगण सार्वजनिक हित अन्तर्गत यह आवेदन पेश कर रहे है अपने किसी निजी प्रयोजन अन्तर्गत आवेदन पेश नहीं कर रहे है। अतः आवेदन मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि आवेदन आवेदकगण स्वीकार फरमाया जाकर सार्वजकिन हित में तीनों चकों ठाकरी 'बी', लिखमेंवाला बारानी व 29 पी.एस.ए. को आपस में व मुख्य राज मार्ग अनूपगढ़ रायसिंहनगर से जोड़ने प्रयोजनार्थ अनावेदक बलवीर की चक ठाकरी 'बी' तहसील रायसिंहनगर की धृति पत्थर नं. 221/297 मु.नं. 18 के कि.नं. 21 ता 25 में एक–एक बिस्वा दक्षिणी पासा, अनावेदक सं. 3 ता 5 के पति/पिता मृतक भीमसैन की धृति इसी चक के पं.नं. 221/298 मुरब्बा नं. 23 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में एक–एक बिस्वा उतरी पासा, आवेदकगण चन्दोदेवी, सुरेन्द्र आवेदगण सं. 6 ता 17 की सास/दादी मृतका रेशमी, खेताराम व मंगतुराम की इसी चक की भूमि पं.नं. 220/297 मुरब्बा नं. 19 के कि.नं. 21 व 22 प्रत्येक में एक–एक बिस्वा दक्षिणी पासा व अनावेदक राजस्थान सरकार की आराजी राज

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.06 13:45:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

की इसी मुरब्बा नंबर 19 के कि.नं. 23 ता 25 में एक–एक बिस्वा दक्षिणी पासा आवेदक रामनारायण की इसी चक की भूमि पं.नं. 220/298 मुरब्बा नं. 22 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक एक–एक बिस्वा उतरी पासा, आवेदकगण पवनदीपसिंह व बलजिन्द्रसिंह की इसी चक की भूमि पं.नं. 219/297 मु.नं. 20 के कि.नं. 21 ता 25 प्रत्येक में एक–एक बिस्वा दक्षिणी पासा, आवेदकगण कृष्णचन्द्र, चन्द्रपाल, बनवारीलाल व सम्मतराम की इसी चक की भूमि पं.नं. 219/298 मु.नं. 21 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक एक–एक बिस्वा उतरी पासा उससे आगे चक लिखमेंवाला बारानी में आवेदक तारूराम की भूमि पं.नं. 218/297 मु.नं. 32 के कि.नं. 21 की एक बिस्वा दक्षिणी पासा वा आवेदक बिशनाराम की इसी मुरब्बा नं. 19 के कि.नं. 22 ता 25 प्रत्येक एक–एक बिस्वा दक्षिणी पासा व आवेदक सोहनलाल की इसी चक की भूमि पं.नं. 218/298 मु.नं. 33 के कि.नं. 1 ता 5 प्रत्येक में एक–एक बिस्वा उतरी पासा कुल 40 बिस्वा यानि 0.506 है. चालू सार्वजनिक रास्ता को सार्वजनिक हित में बिना किसी मुआवजा के स्वीकृत फरमाया जाकर तदनुसार राजस्व अभिलेखों में अंकन के आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 2 की तरफ से श्री सन्तकुमार बिश्नोई अधिवक्ता ने वकलातनामा व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित है कि प्रार्थीगण द्वारा मुझ अप्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अव्यवहारिक व अवैध है क्योकि चक ठाकरी बी लिखमेंवाला बारानी व चक 29 पी.एस.ए. को आपस में व मुख्य राजमार्ग अनूपगढ़ रायसिंहनगर से जोड़ने हेतु तहसील रायसिंहनगर के मुरब्बा नं. 3–10–11–20–21–18 मुरब्बा नं. 6–7–14–17–23–26 में से रास्ता स्वीकृत है तथा यह रास्ता मौका पर चालू है लेकिन प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में मिथ्या तथ्य पेश कर मुझ अप्रार्थी संख्या 2 व अन्य अप्रार्थीगण जो लघु कृषक है तथा मेरे पास मात्र मुरब्बा नं. 18 के कि.नं. 21 ता 25 में 4.18 बीघा ही जमीन है के कब्जा काश्त से मरूहम करने के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पास अनपूगढ़ मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए उपरोक्तानुसार स्वीकृतशुद्वा रास्ता का विकल्प प्राप्त होने के कारण वे मुझ अप्रार्थी के मुरब्बाजात में से स्वीकृतशुद्वा रास्ता जो मौका पर चालू है यह रास्ता प्रार्थीगण के लिए सरल, सुगम व सुविधापूर्वक रास्ता उपलब्ध है जिससे वे काफी अरसा पूर्व से अपनी जोत में व अनूपगढ़ रायसिंहनगर राजमार्ग से आवागमन करते है लेकिन प्रार्थीगण ने दुर्भावना एवं रंजिशवंश मुझ अप्रार्थी की जोत के टुकड़े करने के लिए मेरे किलाजात में से रास्ता की मांग की है जो विधिपूर्ण एवं न्याय सिद्वांतों के प्रतिकूल है ऐसी स्थिति में आवेदकगण को मुझ अप्रार्थी की भूमि में से कोई रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकार नहीं है अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण वर्तमान सूरत में ही खारिज फरमाया जाकर [illegible] जवाबदेही दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.06 13:45:59 IST
Reason: SelfAttested

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक [illegible]/2024/798 दिनांक 15.05.2024 से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट चक

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

लिखमेंवाला बारानी के मु.नं. 32 के कि.नं. 21 ता 25 दक्षिण पासा प्रत्येक में 0.013 है. व इसके चिपते दक्षिण में मु.नं. 33 के कि.नं. 1 ता 5 उतरी पासा प्रत्येक में 0.013 है. व चक ठाकरी बी मु.नं. 18–19–20 के कि.नं. 21 ता 25 दक्षिण पासा प्रत्येक में 0.013 है. इसी चक के मु. नं. 21–22–23 के कि.नं. 1 ता 5 उतरी पासा प्रत्येक में 0.013 है. रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 के आरटीएक्ट के तहत दायार किया गया है जिसके संबंध में बिन्दूवार रिपोर्ट निम्न प्रकार से है।

1. प्रार्थीयान द्वारा की गई रास्ता की मांग अत्यंत आवश्यकता की श्रेणी में नहीं है।
2. प्रार्थीयान द्वारा की गई रास्ता की मांग गांव से बाहर की ओर अन्य वैकल्पिक मार्ग के रूप में की गई है जो सुविधा की श्रेणी में आता है।
3. प्रार्थीयान को आवागमन हेतु गांव से सीधी सड़क दोनों तरफ से अनूपगढ़–रायसिंनगर सड़क मार्ग तथा पीएस नहर से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है।
4. नवीन मार्ग स्वीकृत किया जाना उचित होगा। क्योकि इससें बोर्डर एरिया की पंचायत लिखमेंवाला–सांवतसर–लूणेवाला–खांटा तक किसानों को कृषि जिन्स सीधी मण्डी तक पहुंच का एक नया मार्ग उपलब्ध होगा।
5. उक्त मार्ग चक लिखमेंवाला बारानी के मु.नं. 32 के कि.नं. 21 ता 25 दक्षिण पासा प्रत्येक में 0.013 है. व इसके चिपते दक्षिण में मु.नं. 33 के कि.नं. 1 ता 5 उतरी पासा प्रत्येक 0.013 है. व ठाकरी बी मु.नं. 18–19–20 के कि.नं. 21 ता 25 दक्षिण पासा प्रत्येक में 0.013 है. व इसी चक के मु.नं. 21–22–23 के कि.नं. 1 ता 5 उतरी पासा प्रत्येक में 0.013 है. के खातेदारी से सहमति ली जाकर स्वीकृत किया जावें तो उचित होगा।

4. वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थीयान अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व सार्वजनिक उपयोग के रास्ता को बिना किसी मुआवजा स्वीकृत किया जावें। अप्रर्थीगण के अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दोहराया व कथन किया कि प्रार्थीयान द्वारा उक्त रास्ते की मांग अपनी जोत में आने–जाने हेतु न करके गांव को अन्य गांव से जोड़ने व अपनी सुविधा हेतु मांग की है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 के काश्तकारी अधिनियम के तहत नहीं आता है इसलिए प्रार्थीयान का प्रार्थना पत्र मय हर्जाना खारिज किया जावे।

5. हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर व पढकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रेषित रिपोर्ट, भू–अभिलेख निरीक्षक ... जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नज... का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों ... निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त ... रिपोर्ट एंव फ... का एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी... रास्ता आत्यन्तिक आवश्यकता की श्रेणी में नहीं है। ... के द्वारा रास्ता की मांग अपने जोत की भूमि में आने–जाने के लिए नहीं की है बल्कि रास्ता की मांग गावं से बाहर की ओर अन्य वैकल्पिक मार्ग से जोड़ने के लिए की

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.06 13:45:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

गई है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मे स्पष्ट अंकित है कि प्रस्तावित रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ बिना किसी मुआवजा के सार्वजनिक हित में स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है आवेदकगण सार्वजनिकहित अन्तर्गत यह आवेदन पेश कर रहे है जबकि केवल आवागमन की सुविधा ओर निकटतम दूरी के हिसाब से है पूर्व में स्वीकृत शुद्दा रास्ते का मुख्य सड़क से मिलान भी हो रहा है प्रार्थीगण अपनी सुविधा के लिए इस रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहते है इसी रास्ता का उपयोग प्रार्थीगण की जोत में आने–जाने हेतु नहीं हो रहा है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251 क आरटीएक्ट के तहत स्वीकार करना न्यायसंगत नहीं है उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना विधि संवत हैं।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आने पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता हैं पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ रायसिंहनगर ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.06.06 13:45:59 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner